



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 875) पटना, बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 169, दिनांक 21 सितम्बर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 168 के साथ पठित बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए विवरणी, प्ररूप-जीएसटीआर-3ख में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट तारीखों से पूर्व दी जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	मास	जीएसटीआर-3ख फाइल किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई, 2017	20 अगस्त, 2017
2.	अगस्त, 2017	20 सितंबर, 2017

2. यह अधिसूचना 8 अगस्त, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3530)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 170, एस०ओ० 169 दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3530)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

S.O. 169, dated 21st September 2017— In exercise of the powers conferred by sub-sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, specifies that the return for the month as specified in column (2) of the Table below shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal before the dates as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Serial Number	Month	Date for filing of GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	July, 2017	20 th August, 2017
2.	August, 2017	20 th September, 2017

2. This notification shall come into force with effect from the 8th day of August, 2017..

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20/2017-3530)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 875-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>